फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान सं**0-11** वित्तीय वर्ष **2013-14** **प्रपत्र बी.एम.-9**

(धनराशि हजार रू**0** मे**)**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक **(15** डिजिट कोड में**)** आयोजनागत	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग **(2-5)**
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0303-कृषि विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में पूंजी निवेश 4401190030303					
24-वृहद निर्माण कार्य	200000	28365	28365	28365	171635
योग	**200000**	**28365**	**28365**	**28365**	**171635**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखाशीर्षक **(15** डिजिट कोड में**)** आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि **(9-8)**	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग **(8+11)**
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0303-कृषि विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में पूंजी निवेश 4401190030303					
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	0	28365	28365	28365	28365
योग	**0**	**28365**	**28365**	**28365**	**28365**

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्ब-3 में उपलब्ध बचत का कारण उक्त मद में मांग न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्ब-8 में अनुदान उपलब्ध न होने के कारण स्तम्भ-9 में अंकित व्यय एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित परियोजनाओं को वित्त पोषण के कारण हो रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम**-** इन्द्रदेव पटेल**,** संयुक्त सचिव।

प्रशासकीय विभाग-कृषि विभाग।

संख्या-141/ई-1-दस-2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2013

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम- **(**अविनाश चन्द्र द्विवेदी**),** उप सचिव,

वित्त विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-3

संख्या-22 / /12-3-2013-100(29)/2010

लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन प्रतियों में।
7- कृषि अनुभाग-5/वित्त ई-1
8- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in